इस बात की तरफ भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि जिस व्यक्ति के माध्यम से नशीली चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है उससे यह पता चल जाय कि किन पदार्थों का व्यापार करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। 10 साल या 20 साल की सजा से कुछ होने वाला नहीं है। एक लाख या दो लाख रुपये जुर्माना कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कोई हत्या करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन इन नशीली वस्तुओं का व्यापार करने वाले लोगों के लिए, जो इन चीजों की तस्करी करते हैं, समाज में नवयुवकों का चरित्र बर्बाद करते हैं, उनके परिवार में आग लगाते हैं, उनका जीवन नष्ट करते हैं, उनका स्वास्थ्य नष्ट करते हैं, उनकी सम्पत्ति नष्ट करते हैं उनके लिए छोटी सजा से काम चलने वाला नहीं है। इस प्रकार के लोग जो नशीली वस्तुओं की तस्करी करते हैं उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली जानी चाहिए। कानून में आप इस प्रकार का प्रावधान कीजिये कि ऐसे लोगों की सम्पत्ति जब्त कर ली जाय, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाय। वे भारत की धरती पर नहीं रह सकते हैं, उनको सम्पत्ति का अधिकार नहीं होगा। भारत के अन्दर वे अगर रहेंगे तो सारी जिन्दगी कारावास में रहेंगे। एक लाख, दो लाख जुर्माने से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक लाख, दो लाख रुपये तो ये लोग पंच सितारा होटल में खर्च कर देते हैं। श्री जनार्दन पुजारी जी, आप के लिए, हुकमदेव नारायन यादव और यहां के माननीय सदस्यों के लिए एक लाख, दो लाख की कोई कीमत हो सकती है, लेकिन इन लोगों के लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। अखबारों में हम पढ़ते हैं कि कई अरब रुपयों की नशीली चीजें पकड़ी गईं। नशीली वस्तु पांच किलो की है और उसकी कीमत कई करोड़ की। माल 10 किलो, लेकिन उसकी कीमत कई लाख करोड़। इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लोग इन नशीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, इसमें सहयोग करते हैं उनको आप सख्त से सख्त सजा दीजिये। जो लोग इस व्यापार में साझीदार हों, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिनकी इसमें हिस्सेदारी हो, उनके लिये इस तरह से कड़े कानून बनाये जाएं कि अगर उनको पकड़ा जायेगा तो उनको सख्त सजा दी जायेगी उनकी सारी सम्पत्ति जब्त की जायेगी और दूसरी तरफ जो सरकारी अधिारी . . .

1 P.M. SHRDLU CMFWY

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): It is already one o'clock. Let him continue after lunch.

श्री हुकमदेव नारायण यादव : आप लंच कर दीजिये, मै उसके बाद बोल लूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): That is all right. You will continue after lunch. Now, the House stands adjourned till two o'clock.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, **The Deputy Chairman** in the Chair.

THE LOKPAL BILL, 1985

Amendment to Motion for reference of Bill to Joint Committee

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI ASOKE KUMAR SEN): Madam, I beg to move the following Motion amending the Motion adopted by the House today, the 29th August, 1985, concurring in the recommendation of the Lok Sabha to refer the Lok Pal Bill, 1985, to the Joint Committee of the House:—

"That in the said Motion, for the name of Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare appearing at Sl.

[Shri Asoke Kumar Sen]

No. 6, the name of Shrimati Pratibha Devisingh Patil be substituted."

The question was proposed.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बहार) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राज्य सभा की कार्य संचालन नियमावली के तहत इसका हिन्दी अनुवाद हम को नहीं मिला है। बस मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यही है।

उपसभापति : अभी पहुंचवा देते है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अभी पहुंचवा दीजिए, आप की कृपा है अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा लेकिन ऐसा अन्याय नहीं किया जाना चाहिये। सदन में पहले भी कई बार मैं यह प्रश्न उठा चुका हूं।

उपसभापति : अन्याय नही होना चाहिये, आप कहें तो मैं हिन्दी अनुवाद पढ़ कर सुना दूं।

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, I stand to oppose the motion on the ground that it has not made clear whether Mr. Bhandare has declined or resigned from the Committee on which he was taken in the morning. Unless he declines or resigns... (*Interruptions*) Just a minute. I have not finished. So unless he declines or resigns, the question will not be tenable under the rules. The office must verify whether Mr. Bhandare has declined or resigned from the Committee. I have not finished. You must have patience.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have enough patience. I thought you had finished.

SHRI S. W. DHABE: Secondly, I find from the list published in the *Patriot* today that Mr Bhardwaj is elected from the Lok Sabha. He has the unique distinction of being elected from two Houses, from this House and from the other House.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): Madam, I might say for the hon. Member's information that an amending motion was brought in the Lok Sabha yesterday and Mr. Bhardwaj's name was omitted and instead, Mr. Dhabe's party leader, Mr. Unnikrishnan was taken.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That has already been done and so whatever appeared in the newspaper is not correct. As far as this motion is concerned, this is an amendment and an amendment to any motion, any substantial motion which is being passed, can be taken up.

आप जो रूल 72 के हिसाब से बोल रहे हैं वह सही नहीं है।

SHRI S. W. DHABE: Rule 72 will not apply?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No.

मैंने हिन्दी में इसलिए बोला कि आप समझ जाएं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : यह इस सरकार के मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स की अक्षमता है, इसे नोट कर लीजिए (**व्यवधान**)

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Since the motion has been moved, it is perhaps proper that to disprove the utterances of the Law Minister, we should extend our support to this motion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That in the said Motion, for the name of Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare appearing at Sl. No. 6, the name of Shrimati Pratibha Devisingh Patil be substituted."

The motion was adopted.

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): What a storm in a teacup.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think so.

SHRI ASOKE KUMAR SEN: Technicality at its best.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we go to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Bill, 1985. Shri Hukmdeo Narayan Yadav to continue his speech.

THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES BILL 1985—Contd

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: उपसभापति महोदया, भोजन अवकाश से पूर्व विधेयक के सम्बन्ध में कुछ अपनी राय जाहिर कर रहा था और मैं उस समय यह निवेदन कर रहा था कि जो इस तरह का स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ का व्यापार करता है उससे कुछ भी हासिल करता है उस के लिए कड़ी से कड़ी सजा का उपबन्ध किया जाए । उसी क्रम में मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह के अपराधियों की नागरिकता समाप्त कर दी जाए, उनकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जाए और उनको आजीवन कारावास की सजा दी जाए, जिससे कोई भी आदमी इस तरह का समाज को नाश करने वाला रोजगार नहीं कर सके ।

इसके साथ-साथ अध्याय 4 में जो दण्ड के प्रावधान किये गये हैं, उसमें कई जगह लिख दिया गया है कि भारतीय दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जाएगी, लेकिन भारतीय दण्ड विधान के तहत इस विधेयक से भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का उपबंध करिये और उसमें धारा 15 से लेकर 25 तक आपने एक ही जसी भारत सरकार का विधि विभाग, यह कानून बनने वाले एक ही चीज पढ़ लिये, जैसे बाजार में हम चलते हैं, तो कनाट प्लेस में जाते हैं तो, देखते हैं कि फुल पैंट शर्ट वगैरह रखा रहता है और कहता रहता है 30 रुपय, 30 रुपये अर्थात् हर माल मिलेगा तीस रुपये ।

उसी तरह से इस विधेयक का नाम है, हर माल मिलेगा तीस रुपये, मैं कह दूं क्योंकि धारा 15 से लेकर 25 तक हर धारा में है 10–20 वर्ष तक सजा और एक लाख-दो लाख रुपया जुर्माने 10–20 वर्ष सजा और एक से दो लाख रुपया जुर्माना । हर धारा में केवल इतना ही कहा गया है ।

मैं चाहता हूं कि जो धारा हो, जिसके अंदर जितनी गहराई हो, उसके अनुसार इसमें दण्ड का प्रावधान किया जाए । फिर उसके बाद धारा 20 से लेकर 30 तक जो है, उसके अन्दर जो सजा का उपबंध किया गया है, उसमें कड़ाई से नियंत्रण किया जाए और उस पर कड़ाई की जाए । सरकार के जरिए अंतिम बात मैं यह कहूंगा कि कानून के बारे में जो आपने दिया है, बहुत सी दवा निर्माण करने वाली कम्पनियां होंगी जिनको आप लाइसेंस देंगे । इस धारा के तहत जो मादक द्रव्य व्यक्ति के लिए प्रयोग मनाही है, अवैध है उन चीजों को दवा निर्माण के लिए आप कम्पनियों को देंगे । दवा बनाने के लिए कम्पनियां लेंगी और उन चीजों का उपयोग वह दवा बनाने में नहीं करके फिर उसका उपयोग नशीले पदार्थ बना कर लोगों के स्वास्थ्य को बर्बाद करने के लिए करेंगी । जैसे बहुत सी दवाईयां हैं । मैं नहीं जानता, मैंने कभी नशे का प्रयोग किया नहीं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत सी ऐसी दवाइयां है, जिनका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता है, नशे के लिए किया जाता है । कोई एक टेबलेट है जिसको कहते हैं कि कोका-कोला कैम्पा-कोला या लिमका में वह टेबलेट डाल देते हैं और उनको वह पीते हैं जिससे उनको शराब के जैसा नशा होता है । लोग बताते हैं । क्या आप ऐसी दवाइयों के निर्माण पर कड़ी निगरानी रखेंगे कि नहीं ?

अभी हमारे मित्र श्री रामचन्द्र भारद्वाज जी भी बैठे हुए हैं—इसी राज्य सभा में